फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम सुनीलकुमार व अन्य

किस्म मुकदमा :– 136 एल0आर0ए0 प्रकरण संख्या :– 18/2020

GCMS :- 2020/00047

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[redacted] 12/10/2020		

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि चक 9 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 खाता सं. 34/34 में प.नं. 65/283(28) कि.नं. 9/2/0.038, 12/0.064, 21/0.037 कुल 0.139 है0, प.नं. 66/283(29) कि.नं. 1 ता 15/3.795, 16/0.194, 17/0.237, 18/0.253, 19/0.236, 20/0.237, 21/0.037, 22/0.037, 20/0.037, 24/0.037, 25/0.037 की 5.137 है., प.नं. 65/284 (31) कि.नं. 1/0.051, 2 ता 9/2.024, 12 ता 19/2.024, 21/0.164, 22 ता 25/1.012 की 5.275 है0 कुल 10.551 है0 नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से अंकित रिकार्ड है। अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम 0.101 है0, अप्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 3 के नाम 2.530 है0 ब.हि.ब., अप्रार्थी–4–5 का 208 हिस्सा ब.हि.ब., अप्रार्थी सं.6 विमलादेवी का 136 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 7 का 68 हिस्सा, अप्रार्थी–8 का 136 हिस्सा, अप्रार्थी–9 का 68 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण का उपर्युक्त हिस्सों का हैक्टेयर में परिवर्तन करने पर योग 10.423 है0 आता है जबकि जमाबन्दी में अंकित कुल रकबा 10.551 है0 है। इस प्रकार रिकार्ड में कुल रकबा 0.128 है0 अधिक दर्ज है जबकि खातेदारों के नाम 0.128 है0 कम दर्ज है। उपर्युक्त 0.128 है0 भूमि सभी खातेदारों के मध्य अनुपातिक आधार पर जोडते हुए दर्ज कर दी जावे तो खातेदारों का योग कुल भूमि के बराबर हो जावेगा। अनुपातिक वृद्धि करने हेतु जमाबंदी संशोधन किया जाना उचित है, इससे अप्रार्थीगण के हितों पर कोई प्रभाव नही होगा। प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/खातेदारों के हक में 0.128 है0 अनुपातिक दर से वृद्धि करने के संशोधन के आदेश प्रदान फरमावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 ने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि यदि उक्त रकबा सभी अप्रार्थीगण के आनुपातिक दर से जोड़ा जावे व अप्रार्थी के रकबा में खरीदशुदा रकबा में कम नही किया जावे तो प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। चक 9 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2039 में खाता संख्या 56 नया 53 पुराना में पत्थर नं. 65/283 (28), पत्थर नं. 66/283(29), 65/284 (31) की कुल 14.016 है0 यानि 1108 हिस्सा खाता में दर्ज थी, किन्तु उक्त खाता में काश्तकारों का 1098 हिस्सा ही दर्ज था। उक्त खाता में वर्तमान जमाबन्दी में अंकित कुल रकबा 10.551 हैक्टयर दर्ज है व काश्तकारों के हिस्सों का योग 10.423 है0 है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में कुल रकबा 0.128 है0 अधिक दर्ज है, जबकि खातेदारों के नाम 0.128 है0 रकबा कम दर्ज है। इसलिये उक्त 0.128 है0 भूमि का समस्त खातेदारों के मध्य आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाना उचित प्रतीत है। जिससे उक्त अपवादित खाता दुरस्त हो जावेगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 चक 9 डी.बी.एन. के खाता सं. 34 नया 34 पुराना के प.नं. 65/283 (28) किला नं. 9/2/0.038, 12/0.064, 21/0.037 की 0.139 है0, प. नं. 66/283 (29) किला नं. 1 ता 15/3.795 है0, 16 की 0.194 है0, 17/0.237 है0, 18/0.253 है0, 19/0.236, 20/0.237, 21/0.037, 22/0.037, 23/0.037,24/0.037, 25/0.037 कुल 5.137 है0, पत्थर नं. 65/284 (31) किला नं. 1/0.051, 2 ता 9/2.024, 12 ता 19/2.024, 21 की 0.164 है0, 22 ता 25 की 1.012 है0 कुल 5.275 है0 तीनों पत्थरों का कुल योग 10.551 है0 नहरी मय खाला रास्ता भूमि में रामचन्द्र, बंशीलाल पि0 मनीराम 208 हिस्सा के स्थान पर 2.663 हैक्टेयर, विमलादेवी पत्नि कृष्णलाल 136 हिस्सा के स्थान 1.741 हैक्टेयर, मांगीलाल पुत्र रामनारायण 68 हिस्सा के स्थान पर 0.871 हैक्टेयर, सुरजाराम वल्द हरीराम 136 हिस्सा के स्थान पर 1.742 हैक्टेयर, श्रवणकुमार पुत्र बनवारीलाल 68 हिस्सा के स्थान पर 0.871 हैक्टेयर, सुनील पुत्र मनफुल 0.101 हैक्टयेर के स्थान पर 0.103 हैक्टेयर, सुनील बिश्नोई–अनिल कुमार पुत्र भूपराम ब.हि.ब. 2.530 हैक्टेयर के स्थान पर 2.560 हैक्टेयर किये जाने के आदेश ... है। रहन का नोट संबंधित खातेदार के पक्ष में यथावत् रहेगा।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार ...)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:31:38 IST
Reason: SelfAttested